परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-धारा 138,143-ए और 148-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 389,482-प्रत्यर्थी संख्या 1 एक फर्म से सेवानिवृत्त हुए-अपीलार्थीगण द्वारा सेवानिवृत्ति बकाया के खिलाफ प्रत्यर्थी के पक्ष में विभिन्न चेक जारी किए गए थे-सभी चेकों का अपमान किया गया था-प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायतें दायर की गई थीं।138 एन. आई. अधिनियम-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 को दोषी ठहराया और तदनुसार दोषी ठहराया गया-अपील में, अपीलार्थीगण ने यू/एस के तहत आवेदन दायर किया।389 Cr.P.C. सजा के निलंबन के लिए-अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 01.12.2018 के आदेश के माध्यम से अपील के लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित कर दिया, जमानत देने के अधीन और दिए गए मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के अधीन-अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया गया था और अपील न्यायालय द्वारा रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया था।482 Cr.P.C. और उस आदेश के हिस्से को रद्द करने की मांग की, जिसमें मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने की शर्त लगाई गई थी-उच्च न्यायालय ने यू/एस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।482 सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपीलों को भी खारिज कर दिया-अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कहा कि अपीलार्थी ने मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के निर्देश का पालन नहीं किया है, सजा के निलंबन के आदेश को खाली माना जाएगा-एक अन्य याचिका यू/एस।482 20.07.2019 दिनांकित आदेश के खिलाफ अपीलार्थीगण द्वारा दायर Cr.P.C. को भी खारिज कर दिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःआई. डी. 1 दिनांकित आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के अधीन सजा के निलंबन का निर्देश देने वाले अपीलीय न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाने वाली किसी भी प्रस्तुति पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है-यह अपीलीय न्यायालय के लिए है जिसने सजा के निलंबन को मंजूरी दी है कि वह गैर-अनुपालन पर निर्णय ले और उचित निर्णय ले-ऐसी परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय द्वारा कौन सा आदेश पारित किया जाना है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

395 ए.

396 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 1 एस. सी. आर.

अपीलीय न्यायालय को विचार करने और निर्णय लेने के लिए-हालाँकि, सजा के निलंबन की शर्त का पालन न करना सजा के निलंबन को खाली घोषित करने के लिए पर्याप्त है-अपीलीय न्यायालय का यह विचार सही था कि सजा के निलंबन के आदेश को खाली माना जाएगा।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

बी.

पकड़ना:**1.** उच्चतम न्यायालय ने मुआवजे की राशि का **25** प्रतिशत जमा करने के अधीन सजा को निलंबित करने के अपीलीय न्यायालय के दिनांक **1** के आदेश को पहले ही बरकरार रखते हुए**,** मुआवजे की राशि का **25** प्रतिशत जमा करने के अधीन सजा के निलंबन का निर्देश देने वाले अपीलीय न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाने के लिए किसी भी प्रस्तुति पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।इस न्यायालय द्वारा **29.05.2019** पर अपीलार्थीगण की आपराधिक अपीलों को खारिज करने से चुनौती खारिज हो जाती है और इसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।**[**पैरा **12] [404-**सी**]**

सी.

2. मुकदमे का दूसरा दौर जो अपीलार्थी द्वारा धारा **482 Cr.P.C** के तहत आवेदन दायर करके शुरू किया गया था**,** अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक **20.07.2019** के आदेश के खिलाफ था**,** जिसमें उन्होंने कहा था कि अपीलार्थी ने मुआवजे की राशि का **25** प्रतिशत जमा करने के लिए दिनांकित **01.12.2018** के निर्देश का पालन नहीं किया है**,** सजा के निलंबन के आदेश को खाली माना जाएगा।आई**.** डी**. 1** दिनांकित आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा मुआवजे की राशि का **25** प्रतिशत जमा करने में विफलता के कारण पारित एक आदेश था।आई**.** डी**. 1** पर सजा का निलंबन मुआवजे की राशि का **25** प्रतिशत जमा करने की शर्त के अधीन था**,** जब सजा के निलंबन

की शर्त का पालन नहीं किया गया था, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का यह विचार सही था कि सजा के निलंबन के आदेश को खाली माना जाएगा।दिनांकित **20.07.2019** आदेश के लिए चुनौती को उच्च न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत और सुविचारित दिनांकित **10.09.2019** निर्णय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।**[**पैरा **13] [404-**डी**-**एफ**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. उच्च न्यायालय की राय सही है कि विवेक साहनी के मामले में तैयार किए गए प्रश्न संख्या **2** पर सही तरीके से विचार नहीं किया गया था।जब निचली अदालत द्वारा सजा का निलंबन ए पर दिया जाता है

एच.

397

सुरिंदर सिंह देस्वाल @कोल. एस. एस. देस्वाल बनाम विरेंद्र गांधी ए.

शर्त, शर्त का पालन न करने से सजा के निलंबन की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस न्यायालय ने शर्त का पालन न करने पर ध्यान देने के बाद एक शर्त पर सजा को निलंबित कर दिया है, वह बहुत अच्छी तरह से यह मान सकता है कि सजा का निलंबन गैर-अनुपालन के कारण खाली है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का यह घोषणा करने वाला आदेश कि मुआवजे की राशि का **25** प्रतिशत जमा करने की शर्त का पालन न करने के कारण सजा का निलंबन खाली है, सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक **1** का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।**[**पैरा **18] [406-**जी**-**एच**; 407-**ए**]**

बी.

सी.

4. यह अपीलीय न्यायालय के लिए है जिसने गैर-अनुपालन पर निर्णय लेने और उचित निर्णय लेने के लिए सजा के निलंबन की अनुमति दी है।ऐसी परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय द्वारा कौन सा आदेश पारित किया जाना है, यह अपीलीय न्यायालय को विचार करना और निर्णय लेना है।हालाँकि, सजा के निलंबन की शर्त का पालन न करना सजा के निलंबन को खाली घोषित करने के लिए पर्याप्त है।**[**पैरा **19] [407-**बी**]**

डी.

जी. जे. राजा बनाम तेजराज सुराना (2019) 10 स्केल 168; सुरिंदर सिंह देसवाल @कर्नल एस. एस. देसवाल और अन्य

बनाम विरेन्द्र गाँधी (2019) 11 एस. सी. सी. 341-संदर्भित।

ई.

अजय विनोदचंद्र शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2019) 4** माह एलजे **705;** विवेक साहनी और एक अन्य बनाम **2019** का सी**.** आर**.** एम**.-**एम**-29187**

(ओ एंड एम**)-**संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

एफ.

(2019) 10 पैरा **9 (2019) 11** एस**.** सी**.** सी**. 341** पैरा **15** को संदर्भित स्केल **168**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2019 की आपराधिक अपील संख्या 1936-1963।

जी.

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सीआरएम-एम सं. 37243,37249,37250,37257,37259,37434,37445,37446,37448,37450,37451,37463,37466,37474,37497,37495,37497,37498,37503,37533,37534,37536,37537,37545,37547 और 2019 के 37550 दिनांकित निर्णय और आदेश से (ओ एंड एम)।

एच.

बलबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय मारवाह, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण**,** जे।

1. ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 10.09.2019 के एक सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा Cr.P.C की धारा 482 के तहत दायर 28 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

बी.

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी संख्या 1 और 2 अपीलार्थी संख्या 3, मेसर्स भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जिसे अब जी. एल. एम. इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के भागीदार हैं।प्रत्यर्थी संख्या 1, विरेंद्र गांधी, जो फर्म के एक भागीदार भी थे, सेवानिवृत्त हुए, जिसके संबंध में 30.11.2013 दिनांकित समझौता ज्ञापन दर्ज किया गया था।केनरा बैंक पर 31.03.2014 दिनांकित एक चेक No.665643 जारी किया गया था, जिसकी राशि Rs.45,84,915/- थी, जिसे अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति देय राशि के आंशिक भुगतान के बदले प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी किया था।इसी तरह, अपीलार्थीगण द्वारा उसी लेन-देन से उत्पन्न प्रत्यर्थी के पक्ष में 63 अन्य चेक जारी किए गए थे।06.04.2015 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने बैंक यानी कर्नाटक बैंक लिमिटेड, सेक्टर-11, पंचकूला में चेक No.665643 जमा किया।चेक का अपमान किया गया और "अपर्याप्त धन" टिप्पणी के साथ 07.04.2015 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से वापस कर दिया गया।अन्य 63 चेकों का भी अनादर किया गया।

सी.

डी.

ई.

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद "एन. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 138 के तहत वैधानिक मांग नोटिस 06.05.2015 पर भेजा।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पंचकूला के समक्ष एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायतें दायर की गईं।कुल 28 शिकायतें दर्ज की गईं।शिकायतों का निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने दिनांक 30.10.2018 के फैसले के माध्यम से किया गया था जिसमें अपीलार्थी Nos.1 और 2 को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिन्हें तदनुसार दोषी ठहराया गया था।दिनांक 1 के आदेश द्वारा अपीलार्थीगण को दो साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी और वर्तमान मामले में शामिल राशि के बराबर राशि का संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने की सजा सुनाई गई थी, यानी चेक राशि और इस राशि का 1 प्रतिशत ब्याज के साथ-साथ मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में।

एफ.

जी.

4. अपीलार्थीगण द्वारा सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के न्यायालय में दिनांकित 30.10.2018 और दिनांकित 30.11.2018 सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी।अपील में अपीलार्थीगण ने एक आवेदन ए दायर किया था

एच.

399

सुरिंदर सिंह देस्वाल @कोल. एस. एस. देस्वाल बनाम विरेंद्र गांधी [अशोक भूषण, जे.] ए.

सजा के निलंबन के लिए Cr.P.C की धारा 389 के तहत।विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.11.2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थीगण की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।अपीलीय न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से अपील पर विचार किया और अपील के लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित कर दिया, बशर्ते कि समान राशि में एक मुचलके के साथ आई. डी. 2,000 की राशि में जमानत मुचलका और मुचलका मुचलका प्रस्तुत किया जाए और वादी के पक्ष में विद्वत निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत भी जमा किया जाए।अपीलार्थीगण को न्यायालय के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

5. अपीलार्थीगण को सभी 28 मामलों में दोषी ठहराया गया था और अपील न्यायालय के आदेश के तहत जमा की जाने वाली कुल राशि, सभी मामलों में, रु. 9,40,24,999/- थी। अपीलार्थीगण ने मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी।विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 19.12.2018 पर आवेदन को 28.01.2019 तक राशि जमा करने के लिए समय देने की अनुमति दी।अपीलार्थीगण ने धारा 482 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित आदेश के उस हिस्से को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें उक्त अदालत ने सजा को निलंबित करते हुए मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने की शर्त लगाई है।

सी.

डी.

6. उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 24.04.2019 के फैसले के माध्यम से धारा 482 Cr.P.C और अन्य संबंधित याचिकाओं के तहत अपीलार्थीगण की याचिका को खारिज कर दिया।अपीलार्थीगण ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित

24.04.2019 के फैसले के खिलाफ इस अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) Nos.4948-4975/2019 को प्राथमिकता दी।

ई.

एफ.

7. इस अदालत ने अपने दिनांकित 29.05.2019 के फैसले के माध्यम से एसएलपी (आपराधिक) से उत्पन्न आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला ने दिनांकित 20.07.2019 के आदेश का पालन न करने को देखते हुए अपीलार्थीगण को चार दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 20.07.2019 पर मामला लिया गया था, तब अपीलार्थीगण भी उपस्थित नहीं थे।अपीलार्थीगण द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत एक अन्य याचिका दायर की गई थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.07.2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी।अपीलार्थीगण द्वारा दायर धारा 482 Cr.P.C के तहत 28 याचिकाओं को पंजाब और हरियाणा के विवादित फैसले से खारिज कर दिया गया है।

जी.

एच.

उच्च न्यायालय दिनांकित 10.09.2019।जिन निर्णय से व्यथित होकर ये अपीलें अपीलार्थीगण द्वारा दायर की गई हैं।

8. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक आई. डी. 2 के आदेश और उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाने वाले अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलबीर सिंह ने कहा कि आई. डी. 1 पर निर्देश के अनुसार मुआवजे की राशि का केवल 25 प्रतिशत जमा न करने से सजा के निलंबन को समाप्त नहीं किया जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालत के निर्देश के अनुसार मुआवजे का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश एन. आई. अधिनियम की धारा 148 के तहत नहीं दिया जा सकता था। एन. आई. अधिनियम की धारा 148 01.09.2018 पर लागू होने के बाद नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता था।चूंकि, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए वर्ष 2015 में शिकायत दर्ज की गई थी, जो एन. आई. अधिनियम की धारा 148 के प्रवर्तन से बहुत पहले थी। उन्होंने आगे कहा कि मुआवजे की

राशि का 25 प्रतिशत जमा न करने से सजा को निलंबित करने के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रत्यर्थीगण के लिए यह खुला है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उक्त राशि की वसूली कर सकते हैं। पी. सी

बी.

सी.

डी.

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय में

2019 की आपराधिक अपील **No.1160 (**जी**.** जे**.** राजा बनाम। तेजराज सुराना**)**

आई. डी. 1 पर निर्णय लिया गया है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 143 ए के प्रावधान केवल संभावित हैं जो धारा 143 ए डब्ल्यू. ई. एफ. को शामिल करने के बाद किए गए अपराध के संबंध में लागू होते हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2018 के संशोधन अधिनियम 20 द्वारा एन. आई. अधिनियम में जोड़ी गई धारा 143 ए और धारा 148 दोनों को वर्तमान मामले में शामिल नहीं किया गया था, जो केवल संभावित था और जिसका उपयोग उन अपराधों में किया जा सकता था जो 01.09.2018 के बाद किए गए थे।उन्होंने अजय विनोदचंद्र शाह बनाम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया है।

ई.

एफ.

महाराष्ट्र राज्य, (2019) 4 माह एल. जे. 705 और एक अन्य निर्णय

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दिनांक 18.07.2019 in

2019 का सीआरएम**-**एम**-29187 (**ओ एंड एम**) (**विवेक साहनी और एक अन्य बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**)**।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

जी.

11. अपीलार्थीगण ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की आपराधिक अपील पर विचार करते हुए, अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण की मूल सजा को निलंबित कर दिया है, बशर्ते कि ए.

एच.

सुरिंदर सिंह देस्वाल @कोल. एस. एस. देस्वाल बनाम विरेंद्र गांधी [अशोक भूषण, जे.] ए.

25% वादी के पक्ष में निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे का।दिनांक 1,2019 के आदेश पर सवाल उठाते हुए अपीलार्थीगण द्वारा दायर धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 3 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ अपीलार्थीगण ने 2019 का SLP (आपराधिक) Nos.4948-4975 भी दायर किया था, जिसे इस अदालत ने 4 पर खारिज कर दिया था।दिनांक 1 के आदेश पर सवाल उठाने वाले अपीलार्थीगण द्वारा उठाई गई सभी दलीलों को इस न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से निपटाया गया है और खारिज कर दिया गया है।विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांकित आदेश को चुनौती देने के संबंध में प्रस्तुतियाँ जिन्हें हमारे समक्ष संबोधित किया गया है, इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और खारिज कर दिया गया है।इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 8., 8.1 और 9 का उल्लेख करना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

बी.

सी.

“8. अपीलार्थीगण की ओर से यह मामला है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलार्थीगण के खिलाफ आपराधिक शिकायतें संशोधन अधिनियम संख्या 20/2018 के समक्ष दर्ज/दायर की गई थीं, जिसके द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन किया गया और इसलिए एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन लागू नहीं किया जाएगा।तथापि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उस समय जब एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलों को प्राथमिकता दी गई थी, एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन करने वाला संशोधन अधिनियम सं.यहां तक कि उस समय भी जब अपीलार्थीगण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली लंबित अपीलों के लिए सजा को निलंबित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, एन. आई. अधिनियम की संशोधित धारा 148 लागू हुई और इसे क़ानून डब्ल्यू. ई. एफ. 1.9.2018 पर लाया गया। इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सजा को निलंबित करते हुए, जब पहली अपीलीय अदालत ने अपीलार्थीगण को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने/मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया, तो इसे एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ पूरी तरह से अनुरूप कहा जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8.1.यह देखने और पता लगाने के बाद कि आसान फाइलिंग के कारण असम्मानित चेक के बेईमान दराज़ों की देरी की रणनीति के कारण

एच.

अपीलों और कार्यवाहियों पर रोक प्राप्त करने, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करते हुए, संसद ने एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन करना उचित समझा है, जिसके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में दोषी अभियुक्त-अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है जो निचली अदालत द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी।एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन द्वारा, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की अपील का कोई निहित अधिकार छीन लिया गया है और/या प्रभावित किया गया है।इसलिए, अपीलार्थीगण की ओर से यह निवेदन कि एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा और विशेष रूप से 1.9.2018 से पहले दायर मामलों/शिकायतों के संबंध में लागू नहीं होगा, इसमें कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन द्वारा, अपील का कोई मूल अधिकार नहीं लिया गया है और/या प्रभावित नहीं किया गया है।अतः गारिकापट्टी वीराया (उपरोक्त) और वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय, जिन पर अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भरोसा किया है, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विचार करते हुए, संशोधित एन. आई. अधिनियम की धारा 148 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर, हमारी राय है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 148, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपीलों के संबंध में लागू होगी, यहां तक कि उस मामले में भी जहां एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए आपराधिक शिकायतें संशोधन अधिनियम सं.यदि ऐसी उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को नहीं अपनाया जाता है, तो उस मामले में, एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा।

इसलिए, विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को संशोधित एन. आई. अधिनियम की धारा 148 पर विचार करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने/मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

403

सुरिंदर सिंह देस्वाल @कोल. एस. एस. देस्वाल बनाम विरेंद्र गांधी [अशोक भूषण, जे.] ए.

ए.

9. अब जहाँ तक अपीलार्थीगण की ओर से यह निवेदन है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में उपयोग की गई भाषा पर भी विचार करते हुए, अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी और उपयोग किया गया शब्द "नहीं होगा" और इसलिए विवेकाधिकार पहली अपीलीय अदालत के पास है कि वह अपीलार्थी-अभियुक्त को ऐसी राशि जमा करने का निर्देश दे और अपीलीय अदालत ने इसे अनिवार्य समझ लिया है, जो अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार एन. आई. अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के विपरीत होगा जैसा कि संशोधित किया गया है।इसलिए एन. आई. अधिनियम की संशोधित धारा 148 अपीलीय न्यायालय को अपीलार्थी-अभियुक्त को मूल वादी द्वारा दायर आवेदन पर या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत दंडादेश को निलंबित करने के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन पर भी जुर्माना या मुआवजे की 20 प्रतिशत से कम राशि जमा करने का निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है।उपरोक्त का अर्थ इस तथ्य पर विचार करते हुए लगाया जाना आवश्यक है कि एन. आई. अधिनियम की संशोधित धारा 148 के अनुसार, निचली अदालत द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का कम से कम 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया जाता है और यह कि ऐसी राशि आदेश की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी 30 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर जमा की जानी है जो अपीलकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण के लिए

अपीलीय अदालत द्वारा निर्देशित की जाए।इसलिए, यदि एन. आई. अधिनियम की धारा 148 का संशोधन उद्देश्यपूर्ण रूप से इस तरह से किया जाता है कि यह न केवल एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों को पूरा करेगा, बल्कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 को भी पूरा करेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, चेक का अनादर करने वाले के अपराध से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान किया जा सके।ताकि यह देखा जा सके कि अपीलों को आसानी से दाखिल करने और रोक प्राप्त करने के कारण अपमानित चेकों के बेईमान दराजों द्वारा देरी की रणनीति के कारण

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

कार्यवाही में, एक असम्मानित चेक के प्राप्तकर्ता के साथ अन्याय किया गया था, जिसे चेक के मूल्य का एहसास करने के लिए अदालती कार्यवाही में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं और यह देखते हुए कि इस तरह की देरी ने चेक लेनदेन की पवित्रता से समझौता किया है, संसद ने एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन करना उचित समझा है। इसलिए, ऐसी उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एन. आई. अधिनियम की धारा 148 और एन. आई. अधिनियम की धारा 138 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों को आगे बढ़ाने के लिए होगी।

बी.

12. यह न्यायालय पहले ही मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के अधीन सजा को निलंबित करने के अपीलीय न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश को बरकरार रखते हुए, मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के अधीन सजा के निलंबन का निर्देश देने वाले अपीलीय न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाने के लिए किसी भी प्रस्तुति पर आगे विचार

करने की आवश्यकता नहीं है।इस न्यायालय द्वारा 29.05.2019 पर अपीलार्थीगण की आपराधिक अपीलों को खारिज करने से चुनौती खारिज हो जाती है और इसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।13. मुकदमे का दूसरा दौर जो अपीलार्थी द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन दायर करके शुरू किया गया था, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 20.07.2019 के आदेश के खिलाफ था, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के लिए दिनांकित 01.12.2018 के निर्देश का पालन नहीं किया है, सजा के निलंबन के आदेश को खाली माना जाएगा।आई. डी. 1 दिनांकित आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने में विफलता के कारण पारित एक आदेश था।आई. डी. 1 पर सजा का निलंबन मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने की शर्त के अधीन था, जब सजा के निलंबन की शर्त का पालन नहीं किया गया था, तो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का यह विचार सही था कि सजा के निलंबन के आदेश को खाली माना जाएगा।दिनांकित 20.07.2019 आदेश के लिए चुनौती को उच्च न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत और सुविचारित दिनांकित 10.09.2019 निर्णय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आपराधिक अपील No.1160 में इस न्यायालय के दिनांकित 30.07.2019 के फैसले पर भरोसा किया है।

2019 का (जी. जे. राजा बनाम। तेजराज सुराना)।उपरोक्त मामले में यह न्यायालय

एन. आई. अधिनियम की धारा 143 ए के प्रावधानों पर विचार किया जा रहा था जिसे 2018 के उसी संशोधन अधिनियम 20 द्वारा जोड़ा गया था जिसके द्वारा धारा 148 ए

एच.

एन. आई. अधिनियम जोड़ा गया है।इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि धारा 143 ए संभावित प्रकृति की है और उन मामलों तक सीमित है जहां धारा 143 ए के लागू

होने के बाद यानी 01.09.2018 के बाद अपराध किए गए थे।निर्णय के पैरा 22 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:“22. इसलिए, हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 143 ए की प्रयोज्यता को संभावित प्रकृति का माना जाना चाहिए और उन मामलों तक सीमित होना चाहिए जहां धारा 143 ए लागू होने के बाद अपराध किए गए थे, ताकि किसी अभियुक्त को इस तरह के अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सके।”

बी.

15. इस न्यायालय का निर्णय जो मामले में दिया गया था

वर्तमान अपीलार्थीगण अर्थात **2019** की आपराधिक अपील **(**सुरिंदर सिंह देसवाल **@**कर्नल एस**.** एस**.** देसवाल और अन्य बनाम। विरेन्द्र गाँधी**) (**जिसमें हम में से एक **M.R.Shah,** जे भी एक थे

सी.

सदस्य) को जी. जे. राजा के मामले का फैसला करने वाली पीठ के समक्ष भी उद्धृत किया गया था।इस न्यायालय ने दिनांक 1 के अपने निर्णय में अपीलार्थीगण की इस दलील को खारिज कर दिया है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 148 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विचार करते हुए, संशोधित एन. आई. अधिनियम की धारा 148 की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपीलों के संबंध में लागू होगा, ऐसे मामले में भी जहां एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए आपराधिक शिकायतें संशोधन अधिनियम से पहले यानी 1 से पहले दायर की गई थीं।

डी.

ई.

16. जी. जे. राजा के मामले का फैसला करने वाली पीठ ने अपीलकर्ताओं के मामले यानी सुरिंदर सिंह देसवाल के मामले में इस अदालत के फैसले पर ध्यान दिया है और राय दी है कि सुरिंदर सिंह देसवाल के मामले में इस अदालत का फैसला एन. आई. अधिनियम की धारा 148 पर था जो आरोपी को दोषसिद्धि ठहराए जाने के बाद का एक चरण है और उस चरण से अलग है जिसमें आई. डी. 1 की धारा 143 ए के तहत अंतरिम मुआवजा दिया गया था। जब जी. जे. राजा के मामले (उपरोक्त) का निर्णय करने वाली पीठ ने स्वयं अपीलार्थीगण के अपने मामले यानी सुरिंदर सिंह देसवाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार किया है और उसे अलग किया है, तो जी. जे. राजा के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भरता गलत है।जी. जे. राजा के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 23 का उल्लेख करना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

एफ.

जी.

एच.

406

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

“23. हालाँकि, हमें सुरिंदर सिंह देसवाल और ओआरएस. वी. मामले में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन करना चाहिए।विरेन्द्र गांधी (2019) 8 स्केल 445 जहाँ अधिनियम की धारा 148, जिसे 2018 के उसी संशोधन अधिनियम 20 द्वारा 01.09.2018 से भी पेश किया गया था, को इस न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी माना गया था।अधिनियम की धारा 143 ए के विरुद्ध, जो अपराध की घोषणा या दोषसिद्धि के आदेश से पहले ही परीक्षण स्तर पर लागू होती है, अधिनियम की धारा 148 अपीलीय स्तर पर लागू होती है जहां अभियुक्त पहले से ही अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 148 में कोई प्रावधान नहीं है जो अधिनियम की धारा 143 ए की उप-धारा (5) के समान है। हालाँकि, वास्तव में, धारा 143 ए की उप-धारा (5) के समान किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संहिता की धारा 421 और 357, जो दोषसिद्धि के बाद लागू होती हैं, ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।इस अर्थ में कहा गया है कि धारा 148 पहले से मौजूद तंत्र और सिद्धांतों पर निर्भर करती है और अधिनियम की धारा 143 ए द्वारा बनाई गई प्रकृति की कोई नई अक्षमता पैदा नहीं करती है। इसलिए, सुरिंदर सिंह देसवाल (2007) 13 एस. सी. सी. 492 में इस न्यायालय का निर्णय एक अलग आधार पर खड़ा है।” उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जी. जे. राजा के मामले में इस न्यायालय का निर्णय अपीलार्थीगण की मदद नहीं करता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

17. विवेक साहनी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले और एक अन्य (उपरोक्त) जिस पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में नोट किया गया है और विस्तार से विचार किया गया है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के पैराग्राफ 14 और 15 में कारण दिए गए हैं -

एफ.

विवेक साहनी के मामले को अलग करना।

18. उच्च न्यायालय की राय सही है कि विवेक साहनी के मामले में तैयार किए गए प्रश्न संख्या 2 पर सही तरीके से विचार नहीं किया गया था।जब निचली अदालत द्वारा सजा का निलंबन एक शर्त पर दिया जाता है, तो शर्त का पालन न करने से सजा के निलंबन के जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।जिस न्यायालय ने शर्त का पालन न करने पर ध्यान देने के बाद एक शर्त पर सजा को निलंबित कर दिया है, वह बहुत अच्छी तरह से यह मान सकता है कि सजा का निलंबन गैर-अनुपालन के कारण खाली है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश यह घोषणा करते हुए कि ए की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने की शर्त का पालन न करने के कारण

जी.

एच.

407

सुरिंदर सिंह देस्वाल @कोल. एस. एस. देस्वाल बनाम विरेंद्र गांधी [अशोक भूषण, जे.]

क्षतिपूर्ति, सजा का निलंबन सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 20.07.2019 आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।
19. यह अपीलीय न्यायालय के लिए है जिसने गैर-अनुपालन पर निर्णय लेने और उचित निर्णय लेने के लिए सजा के निलंबन की अनुमति दी है।ऐसी परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय द्वारा कौन सा आदेश पारित किया जाना है, यह अपीलीय न्यायालय को विचार करना और निर्णय लेना है।हालाँकि, सजा के निलंबन की शर्त का पालन न करना सजा के निलंबन को खाली घोषित करने के लिए पर्याप्त है।

बी.

20. जहां तक अजय विनोदचंद्र शाह (उपरोक्त) मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले का संबंध है, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, यह अवलोकन करना पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय को सुरिंदर सिंह देसवाल के मामले में इस न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले का लाभ नहीं मिला।बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय 14.03.2019 पर दिया गया था जबकि अपीलार्थियों के मामले में इस न्यायालय का निर्णय दिनांकित 29.05.2019 है। द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए

सी.

डी.

सुरिंदर सिंह देसवाल के मामले में इस अदालत ने 29.05.2019 पर फैसला सुनाया,

जहां तक सजा के निलंबन की शर्त का पालन न करने के परिणामों का संबंध है, अजय विनोदचंद्र शाह के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को एक अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है।21. यह भी ध्यान देने योग्य है कि बंबई उच्च न्यायालय ने भी कुल मुआवजे की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के निर्देश में संशोधन करते हुए अभियुक्त को 90 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि का 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया।

ई.

22. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थीगण के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

एफ.

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

जी.

एच.